TABLE

Types of vehicles	Locality of operation	Registered axle weight
1	2	3
"Bronta Skylift hydraulic platform 40-2T1" Fire veh'cle Year of Manufacture—1987 Chassis No. 1125819 Engine No.—5291752 Municipal Corporation of Thane City.	City limits of Thane.	(i) max. laden weight-27000 kgs. (ii) Max axle weight front axle-7000 kg. Rear tandem axle-20000 kgs.

[F.No. RT-11042/17/90-MVL]

G.K. PILLAI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 429] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 30, 1991/श्रावण 8, 1913
No. 429] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 30, 1991/SRAVANA 8, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1991

का.आ. 496 (अ) .—जबकि केन्द्र सरकार की यह राय है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 58 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार जल-भूतल परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 416 (अ) दिनांक 8 जून, 1989 में निर्दिष्ट भार से अधिक भार वाले वाहनों, जिनकी श्रेणी इस आदेश की सारणी के कालम-1 में निर्दिष्ट है, को उक्त सारणी के कालम 2 के तहत अनुरूपी प्रविष्टि में निर्दिष्ट क्षेत्र के अन्दर चलाए जाने के लिए अनुमति दी जाए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (3) के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार निर्देश देती है कि उक्त उपधारा के प्रावधान उक्त श्रेणी के वाहनों पर निम्नलिखित संशोधनों और शर्तों के साथ लागू होंगे, अर्थात :—

(क) कि ऐसे वाहनों के पंजीकरण के प्रमाणपत्र में वाहन का कुल भार दर्ज किया जाएगा और ऐसे वाहनों के किसी एक्सल का पंजीकृत एक्सल भार क्रमशः सारणी के कालम 3 में निर्दिष्ट भार से अधिक नहीं होगा,

(ख) कि इस भारी वाहन के आवागमन के कारण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सड़क और सड़क ढांचे को कोई क्षति पहुंचती है तो वह राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार पूर्णतः थाणे सिटी नगर निगम द्वारा वहन की जाएगी,

(ग) कि वाहनों के उक्त संयोजन अथवा परिवहन के दौरान उनकी वस्तुओं के फलस्वरूप कोई क्षति होती है तो उसके लिए राज्य सरकार/लोक निर्माण विभाग उत्तरदायी नहीं होंगे,

(घ) कि वाहनों के लिए दी गई यह अनुमति लोक निर्माण विभाग स्थानीय निकायों के स्थानीय अधिकारियों को इन वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करने अथवा बन्द करने से नहीं रोकती जो सड़क और सड़क ढांचे की दशा को ध्यान में रखते हुए स्थिति की आकस्मिकता पर निर्भर करता है,

(ङ.) कि उक्त वाहनों को सामान्य यातायात के प्रवाह में कोई बाधा पहुंचाए बिना चलाया जाएगा,

(च) कि उक्त वाहनों को सारणी के कालम 2 में निर्दिष्ट स्थानों में ही चलाया जाएगा।

सारणी

वाहनों की श्रेणी	प्रचालन का स्थान	पंजीकृत एक्सल भार
1	2	3
"ब्रोन्टा स्काई-लिफ्ट हाइड्रालिक प्लेटफार्म 40—2 टी-1" फायर वाहन	थाणे की सिटी सीमाएं	(1) अधिकतम लदान भार—27000 कि.ग्राम
निर्माण का वर्ष—1987 चेसिस सं.-1125819 इंजिन सं.-5291752 थाणे सिटी नगर निगम		(2) अधिकतम एक्सल भार सामने का एक्सल 7000 कि.ग्रा. रियर टैंडम एक्सल-20000 कि.ग्रा—

[फाईल सं.—आरटी/11042/17/90—एमवीएल]

जी.के. पिल्लै, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 1991

S.O. 496(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that weights heavier than those specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport No.S.O. 416(E) dated 8th June, 1989 issued under sub-section (1) of Section 58 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) may be permitted for the vehicles of the type specified in column 1 of the Table to this Order for plying within the locality specified in the corresponding entry under column 2 of the said Table.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 58 of the said Act, the Central Government hereby directs that the provisions of the said sub-section shall apply to the said type of vehicles subject to the following modifications and conditions, namely:—

(a) that in the certificate of registration of such vehicles there shall be entered the gross vehicle weight and the registered axle weight of any of the axles of such vehicles not exceeding the weights specified in column 3 respectively of the Table;

(b) that any damage to the road and road structure either directly or indirectly due to the movement of this heavy vehicle shall be borne wholly by the Municipal Corporation of Thane City as per the assessment by the State P.W.D.

(c) that the State Government/P.W.D. shall not be responsible for any damages that may be sustained either by the said combination of vehicles or their contents consequent during the transit;

(d) that the grant of this permission of vehicles does not prevent the local officers of the State PWD/Local Bodies from regulating or stopping the movement of those depending upon the exigencies of the situation and having regard to the condition of the road and road structures;

(e) that the said vehicles shall be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.

(f) that the said vehicles shall ply only in the locations specified in colum 2 of the Table.